संख्या-22/2020/213/26-3-2020

प्रेषक,

सतीश कुमार,
अनुसचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
जनजाति विकास
उ0प्र0, लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊः दिनांकः 06 फरवरी 2020

विषयः- चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में अनुदान संख्या-80 के अन्तर्गत 14-अनुसूचित जनजातियों की सहायता प्राप्त पाठशालाओं, पुस्तकालयों व छात्रों के लिये छात्रावास के अन्तर्गत पुनर्विनियोग के माध्यम से स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक-293/ज0जा0वि0/लेखा/2019-20, दिनांक-16.01.2020 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में अनुदान संख्या-81 के लेखाशीर्षक-2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गो का कल्याण-02-अनुसूचित जनजातियों का कल्याण-796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना-14-अनुसूचित जनजातियों की सहायता प्राप्त पाठशालाओं, पुस्तकालयों व छात्रों के लिये छात्रावास-20-सहायता अनुदान सामान्य (गैर वेतन) में धनराशि रू0-20.00 लाख (रूपये बीस लाख मात्र) को अनुदान संख्या-81 के लेखाशीर्षक-2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण-02-अनुसूचित जनजातियों का कल्याण-796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना-09-अनुसूचित जनजातियों के लिये राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय-58- आउटसोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान तथा लेखाशीर्षक-2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण-02-अनुसूचित जनजातियों का कल्याण-796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना-1701-एकीकृत जनजाति विकास परियोजना, खीरी-31- सहायता अनुदान सामान्य (वेतन) मद में उपलब्ध बचतों की धनराशि से पुनर्विनियोग के माध्यम से स्वीकृत किये जाने के प्रस्ताव पर राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

(1)-उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय किसी अन्य प्रायोजन हेतु नही किया जायेगा। किसी प्रकार की विचलन की स्थिति में आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।

(2)-स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय करने से पूर्व सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि पूर्व वर्षो में स्वीकृत की गयी कोई धनराशि पी0एल0ए0/बैंक/ डाकखाना/डिपाजिट आदि खातों में अवशेष जमा नही है।

(3)-उक्त धनराशि इस शर्त के साथ निर्गत की जा रही है कि इस सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों/वित्तीय नियमों का कड़ाई से पालन किया जायेगा।

(4)-उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद तथा शासन को ससमय उपलब्ध कराया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(5)-वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक-22 मार्च 2019 तथा में दिये गये दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(6)-अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकता एवं नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को पी0एल0ए0/बैंक खाते आदि में नही रखा जायेगा।

(7)-स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी मद में किया जायेगा, जिस मद हेतु धनराशि की व्यवस्था की गयी है।

(8)-जिस मद से धनराशि पुनर्विनियोग की जा रही है उस मद में पुनः धनराशि की मांग नही की जायेगी।

2- उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 के अनुदान संख्या-81 के लेखाशीर्षक-2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गो का कल्याण-02-अनुसूचित जनजातियों का कल्याण-796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना-14-अनुसूचित जनजातियों की सहायता प्राप्त पाठशालाओं, पुस्तकालयों व छात्रों के लिये छात्रावास-20-सहायता अनुदान सामान्य (गैर वेतन) मद के नामे डाला जायेगा तथा व्यय संलग्न प्रपत्र बी0एम0-9 के स्तम्भ-1 में उल्लिखित लेखाशीर्षक में उपलब्ध बचतों से पुनविर्नियोग कर वहन किया जायेगा।

भवदीय,
सतीश कुमार
अनुसचिव।

पृ0संख्या-22/2020/213(1)/26-3-2020 तद्दिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी)प्रथम एवं द्वितीय, उ0प्र0,इलाहाबाद ।
2- महालेखाकर (लेखा परीक्षा) प्रथम एवं द्वितीय उ0प्र0इलहाबाद।
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- वित्त नियंत्रक, निदेशालय, जनजाति विकास, उ0प्र0 लखनऊ।
5- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-4/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2 उ0प्र0 शासन।
6- निदेशक, एन0आई0सी0योजना भवन, लखनऊ।
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
सतीश कुमार
अनुसचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

प्रपत्र बी0एम0–9 भाग–1

पुनर्विनियोग के लिए आवेदन/स्वीकृति (संदर्भ बजट मैनुअल का प्रस्तर–156)

अनुदान संख्या–81– समाज कल्याण (जनजाति कल्याण) वित्तीय वर्ष 2019–20 (रूपये लाख में)

निम्नलिखित निधियों से प्रस्तावित संकमण

लेखाशीर्षक–15 डिजिटल कोड में	उपलब्ध अनुदान/ विनियोग	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संकमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संकमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संकमण के पश्चात शेष अनुदान/ विनियोग (2–5)
1	2	3	4	5	6
2225–02–796–00–09– 2225–अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण–02–अनुसूचित जनजातियों का कल्याण–796–जनजातीय क्षेत्र उपयोजना–09–अनुसूचित जनजातियों के लिये राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय					
58–आउटसोर्सिंग	145.00	25.00	25.00	20.00	125.00
2225–02–796–17–01–00 2225–अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण–02–अनुसूचित जनजातियों का कल्याण–796–जनजातीय क्षेत्र उपयोजना–1701–एकीकृत जनजाति विकास परियोजना, खीरी					
31–सहायता अनुदान सामान्य (वेतन)	180.00	20.00	20.00	0.00	180.00
योग:–	**60.06**	**45.00**	**45.00**	**20.00**	**305.00**

निम्नलिखित निधियों में प्रस्तावित संकमण

लेखाशीर्षक–15 डिजिट में	वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध अनुदान/ विनियोग	वित्तीय वर्ष में प्रत्याशित कुल व्यय	संकमण हेतु प्रस्तावित धनराशि (9–8)	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संकमण की धनराशि	संकमण के पश्चात उपलब्ध अनुदान/ विनियोग (8+11)
7	8	9	10	11	12
2225–02–796–00–14 2225–अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण–02–अनुसूचित जनजातियों का कल्याण–796–जनजातीय क्षेत्र उपयोजना–14–अनुसूचित जनजातियों की सहायता प्राप्त पाठशालाओं, पुस्तकालयों व छात्रों के लिये छात्रावास					
20– सहायता अनुदान सामान्य (गैर वेतन)	124.52	169.52	45.00	20.00	144.52
योग:–	**124.52**	**169.52**	**45.00**	**20.00**	**144.52**

1–स्तम्भ–3 में उपलब्ध बचत का कारण निम्नानुसार है :– प्रश्नगत योजनाओं/मद में कर्मचारी की नियुक्ति न हो पाने के कारण एवं सेवानिवृत्त होने के कारण जनपद से मांग न प्राप्त होने के कारण बचत हुयी है।

2–स्तम्भ–8 में उल्लिखित उपलब्ध अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ–9 में अंकित अधिक व्यय मा0 न्यायालय के आदेश के क्रम में अध्यापकों के देयकों के भुगतान एवं शासन से सातवें वेतन आयोग के अनुसार वेतन देने के कारण धनराशि की आवश्यकता है।

3–प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुर्नविनियोग में उ0प्र0 बजट मैनुवल के प्रस्तर–150, 151, 154 व 155 में निर्दिष्ट प्रतिबंधों/परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है।

संख्या–आर0ई0–328/ई–4–61/दस–19 दिनांक–23 जनवरी, 2020

सेवा में,

महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी प्रथम)

उ0प्र0, इलाहाबाद।

(सतीश कुमार)
अनु सचिव,
समाज कल्याण विभाग।

केशव प्रसाद
संयुक्त सचिव
वित्त विभाग।
ह0

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

पृ०संख्या– 22/2020/215(1)/26–3–2020 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2– निदेशक, स्थानीय निधि, लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3– निदेशक, जनजाति विकास, उ0प्र0 लखनऊ।
4– वित्त नियंत्रक, निदेशालय, जनजाति विकास, उ0प्र0 लखनऊ।
5– मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6– वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–4/वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1, उ0प्र0 शासन।
7 – गार्डफाइल

आज्ञा से,

(सतीश कुमार)
अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।